

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 840 / 15

संस्थित दिनांक-02.11.15

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद चौराहा

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

1. महेन्द्रसिंह पुत्र मकरन्दसिंह तोमर उम्र 25 साल
निवासी ग्राम सर्वा
2. गिराज पुत्र दाताराम गौड़ उम्र 23 साल
निवासी ग्राम सर्वा, हाल श्रीराम कालोनी गोहद चौराहा
3. सुखराम पुत्र गंगासिंह चौहान उम्र 39 साल
निवासी शेखपुर बुर्जुग थाना कुठौन्द जिला जालौन उ0प्र0
4. मुन्ना पुत्र लाला खां उम्र 56 साल
निवासी माधौनगर कालोनी, शीतला माता मंदिर के पास
मालनपुर जिला भिण्ड म0प्र0

.....अभियुक्तगण

—:: निर्णय ::—

{आज दिनांक 13.05.2017 को घोषित}

अभियुक्त महेन्द्र, सुखराम व गिराज पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा-380, 457 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 23-24.08.15 की मध्य रात्रि मंशीसिंह का पुरा फरियादी का घर पर सूर्यास्त के बाद व सूर्योदय के पूर्व अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए सावधानी पूर्वक फरियादी बलराम के घर में प्रवेश कर रात्रोप्रच्छन्न ग्रह अतिचार कारित किया तथ फरियादी के मकान के कमरे में रखे हुए सोनी चांदी के जेवरात, मोबाईल, व नगद सात हजार रुपये उसकी बिना सहमति के बेईमानीपूर्ण आशय रखते हुए चोरी की तथा अभियुक्त मुन्ना खां पर भादवि0 की धारा 411 के अधीन आरोप है कि उसने फरियादी बलराम के स्वामित्व की सोने की झुमकी यह जानते हुए कि वह चोरी की संपत्ति है, बेईमानीपूर्ण आशय रखते हुए सुखराम चौहान से प्राप्त कर चुराई गयी संपत्ति प्राप्त की।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 22-23.08.15 को दरम्यानी रात फरियादी बलराम जाटव खाना खा पीकर सोया था। सुबह करीब 4-5 बजे उसकी नींद पूरी होकर देखा तो कमरे के किवाड़ खुले थे। अंदर जाकर देखा कि अलमारी का ताला टूटा था चैक किया तो अलमारी में रखी सोने की झुमकी करीब एक तौला की, एक जोड़ी बाला आठ आना के सोने के, दो सोने की अंगूठी लगभग आठ-आठ आने की तथा चांदी की पायजेब करीब 500ग्राम, एक जोड़ी चांदी की तोड़िया करीब 100 ग्राम नहीं मिले, एक मोबाईल जिसमें सिम 9826219178 लगी थी वह भी चोरी हो गया था। किसी अज्ञात द्वारा चोरी कर ली गई। उक्त आशय की सूचना से अप0क0-202/15 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। अभियुक्तगण को गिर0 कर गिर0 पत्रक, मेमोरेण्डम, जब्तीकर जब्ती पत्रक बनाए गए। जब्तशुदा संपत्ति की शिनाख्त कराई गयी बाद अनुसंधान अभियोगपत्र पेश किया गया।

3. अभियुक्तगण को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण में अभियुक्तगण ने निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1. क्या अभियुक्तगण ने दि0 23-24.08.15 की मध्य रात्रि मंशीसिंह का पुरा फरियादी के घर पर सूर्यास्त के बाद व सूर्योदय के पूर्व अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए सावधानी पूर्वक फरियादी बलराम के घर में प्रवेश कर रात्रोप्रच्छन्न ग्रह अतिचार कारित किया ?

2. क्या अभियुक्तगण ने फरियादी के मकान के कमरे में रखे हुए सोनी चांदी के जेवरात, मोबाईल, व नगद सात हजार रुपये उसकी बिना सहमति के बेईमानीपूर्ण आशय रखते हुए चोरी की?

3. क्या अभियुक्त मुन्ना खां द्वारा फरियादी बलराम के स्वामित्व की सोने की झुमकी यह जानते हुए कि वह चोरी की संपत्ति है, बेईमानीपूर्ण आशय रखते हुए सुखराम चौहान से प्राप्त की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में बलराम अ0सा0 1, श्रीमती शांति अ0सा0 2, मूलचंद अ0सा0 3, रामेश्वर सिंह अ0सा0 4, चंदनसिंह अ0सा0 5, सुरेन्द्र जाटव अ0सा0 6, सुरेशदत्त मिश्रा अ0सा0 7 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्तगण की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 का निष्कर्ष

06. फरियादी बलराम अ0सा0 1 यह कथन करते हैं कि दिनांक 23.08.15 को अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कमरे के आगे बरामदा में सो रहे थे, कमरे में ताला लगा था। उसके माता पिता बाहर बैठक में सो रहे थे। रात को तीन-चार बजे उसकी नींद पूरी होकर उसने देखा कि कमरे का ताला टूटा हुआ था जब वह कमरे में अंदर गया तो गोदरेज अलमारी का ताला टूटा था। सामान चैक करने पर सोने की झुमकी करीब एक तौला की, एक जोड़ी बाला आठ आना के सोने के, दो सोने की अंगूठी लगभग आठ-आठ आने की तथा चांदी की पायजेब करीब 500ग्राम, एक जोड़ी चांदी की तोड़िया, नगद सात हजार रुपए नहीं मिले। कोई अज्ञात चोर चुरा ले गया। एक मोबाईल सेमसंग कंपनी का नम्बर 9826219178 भी चुराए जाने के संबंध में कथन करते हैं। साक्षी घटना की रिपोर्ट थाना गोहद चोराहा में प्र0पी0 1 के रूप में किया जाना जिस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। साक्षी घटना सील का नक्शामौका प्र0पी0 2 बताकर उसका भी ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। श्रीमती शांति अ0सा0 2 यह कथन करती हैं कि उनकी नातिन और वे गैलरी में सो रही थीं बहु और लड़का कमरे में सो रहे थे सुबह उठकर देखा कि घर में अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। चोरी में दो जोड़ी झुमकी, दो जोड़ी अंगूठी, एक जोड़ी पायल, एक मोबाईल, दो जोड़ी तोड़िया चोरी हो जाने का कथन करती है जो कि घर के अंदर पर्स में गोदरेज की अलमारी में रखा होना बताती हैं। उपरोक्त दोनों साक्षीगण के कथनों को कोई चुनौती नहीं दी गई कि अभिकथित घटना दिनांक 23-24.08.2015 की दरमियानी रात चोरी नहीं हुई। फरियादी के कथनों की पुष्टि प्राथमिकी प्र0पी 1 से भी हो रही है। ऐसे में यह तथ्य प्रमाणित है कि उक्त दिनांक को फरियादी के घर अर्थात मानव निवास से चोरी हुई थी।

07. प्रकरण में अभियोजन की ओर से ऐसा कोई भी साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि अभियुक्तगण या उनमें से किसी के द्वारा फरियादी बलराम के घर से चोरी की घटना कारित होने के संबंध में समर्थन करता हो। ऐसे में अभियोजन का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य की सुसंगत श्रृंखला पर निर्भर हो जाता है। अनुसंधानकर्ता सुरेशदत्त मिश्रा अ0सा0 7 यह कथन करते हैं कि उन्होंने अपराध क्रमांक 187/ 15 में गिरफ्तार अभियुक्त महेन्द्र से दिनांक 07.09.15 को पूछताछ कर धारा 27 का ज्ञापन लेख किया था जिसमें उसने घटना दिनांक को फरियादी के मकान से अलमारी तोड़ कर उसने व गिराज व सुखराम ने मिलकर चोरी की थी जिसमें चोरी हुई संपत्तियों में सैमसंग का मोबाईल, एक जोड़ी सोने के बाले, एक जोड़ी सोने की झुमकी, एक जोड़ी पायजेब व तोड़िया चांदी की मिलने का कथन करते हैं। जिसमें से सोने का बाला मकान के अंदर छिपाकर रखदेना की बात बताए जाने का कथन करते हैं। साक्षी उक्त ज्ञापन प्र0डी0 8 बताकर उस पर अपने डी से डी भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। इसी प्रकार से उक्त दिनांक को ही अभियुक्त गिराज से पूछताछ

कर उसका धारा 27 का ज्ञापन लेने पर सैमसंग का टच मोबाईल व एक जोड़ी चांदी की तोड़िया प्राप्त होने जो किराए के मकान के अंदर छुपा देने का कथन करते हैं। उसी दिनांक को अभियुक्त सुखराम से पूछताछ कर उसका धारा 27 साक्ष्य विधान का ज्ञापन लेने पर चोरी में उसके हिस्से में सोने की झुमकी आने और चांदी की पायजेब आने का कथन कर सोने की झुमकी को मुन्ना खां निवासी मालनपुर को विक्रय कर देने और चांदी की पायजेब को अपने बहनोई सूरजभान निवासी सर्वा के मकान के गौंडा में एक पोलीथीन में गाड़कर रख देने का तथ्य बताया था। उक्त ज्ञापन प्र0पी0 10 बताकर उसके डी से डी भाग पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित करते हैं।

08. साक्षी सुरेशदत्त मिश्रा अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि उसी दिनांक को अभियुक्त गिराज से किराए के सतीश गौंड के मकान श्रीराम कोलोनी गोहद चौराहा से अभियुक्त द्वारा स्वयं के आधिपत्य से एक बेग से निकाल कर प्रस्तुत करने पर एक सैमसंग कंपनी का मोबाईल, एक जोड़ी चांदी की तोड़िया जब्त किए थे तथा जब्ती पंचनामा प्र0पी0 16 तैयार किया जिस पर सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर बताते हैं। उसी दिनांक को अभियुक्त महेन्द्र द्वारा उसके मकान के अंदर रखी अलमारी से पेश करने पर एक जोड़ी सोने के बाला जब्तकर जब्ती पंचनामा प्र0पी0 17 बनाए जाने और उस पर भी सी से सी भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित किए हैं। उसी दिनांक को अभियुक्त सुखराम द्वारा उसके बहनोई सूरजभान के गौंडा से एक जोड़ी चांदी की पायजेब समक्ष गवाहान जब्त कर जब्ती पत्रक प्र0पी0 18 बनाए जाने का कथन कर उस पर सी से सी भाग पर हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है। सुरेशदत्त अ0सा0 7 यह कथन करते हैं कि दिनांक 07.09.15 को उन्होंने अभियुक्त मुन्ना को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जिसमें उसने अभियुक्त सुखराम से एक जोड़ी सोने की झुमकी दिनांक 26.08.15 को खरीदना बताया था जिसके आधार पर ज्ञापन प्र0पी0 11 तैयार करने एवं अभियुक्त से उक्त दिनांक को ही अभियुक्त मुन्ना खां द्वारा उसके मकान के अंदर के बक्से से एक जोड़ी सोने जैसी झुमकी जब्त किए जाने का तथ्य बताते हुए जब्ती पत्रक प्र0पी0 19 बनाए जाने का कथन किया है, उस पर भी सी से सी भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित किए हैं। इसके अतिरिक्त दिनांक 08.09.15 को पुनः अभियुक्तगण से पूछताछ कर उनका ज्ञापन क्रमशः प्र0पी0 3 लगायत 5 के रूप में लिया जाना जिस पर डी से डी भाग पर अपने हस्ताक्षर बताते हुए यह जानकारी पता चलना बताते हैं कि तीनों अभियुक्तगण ने शेष माल एक मर्दानी अंगूठी सोने की, एक जोड़ी तोड़िया चांदी की सर्वा स्कूल के पीछे दीवाल के बगल में जमीन खोदकर पोलीथीन में रख देने का तथ्य बताया था। उसके आधार पर दिनांक 08.09.15 को अभियुक्तगण की निशांदाही पर उक्त स्थान सर्वा हाईस्कूल के पीछे मकान की दीवाल के बगल में जमीन में गड़ी पोलीथीन में एक सोने जैसी मर्दानी अंगूठी तथा एक जोड़ी चांदी जैसी तोड़िया/पायल जब्त कर जब्ती पत्रक प्र0पी0 6 बनाया जिसके सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित करते हैं।

09. प्रकरण में जब्ती साक्षी चंदनसिंह अ0सा0 5 एवं सुरेन्द्र अ0सा0 6 हैं। उक्त दोनों ही साक्षीगण प्रकरण में अभियोजन दस्तावेज प्र0पी0 3 लगायत 19 पर अपने विभिन्न स्थानों पर हस्ताक्षर होने का कथन करते हुए उन्हें प्रमाणित करते हैं। साक्षी अभियुक्तगण से धारा 27 के ज्ञापन क्रमशः प्र0पी0 3 लगायत 5, लगायत एवं 8 लगायत 11 के द्वारा अभियुक्तगण से तथ्य पता चलने का कथन करते हैं। साथ ही उक्त दोनों ही साक्षी अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्तगण से प्र0पी0 6, 16 लगायत 19 के अनुसार जब्ती कर जब्ती पत्रक तैयार किये जाने का कथन करते हैं। साक्षी चंदनसिंह अ0सा0 5 अभिकथित चोरी की घटना के बाद गोहद चौराहा थाना 7-8 तारीख को आना बताते हैं और यह कथन करते हैं कि उक्त दिनांकों को अभियुक्तगण से उसके समक्ष पूछताछ की थी जिसमें अभियुक्तगण द्वारा फरियादी बलराम के चोरी हुए सामान के बारे में बताया था जिसमें साक्षी द्वारा कण्डिका 4 में यह कथन किया है कि उसे याद नहीं है कि किस अभियुक्त से कौनसा सामान जब्त हुआ था। साक्षी यह बताता है कि जिस समय पूछताछ की उस समय अभियुक्तगण थाने में बैठे थे। साक्षी दिनांक 07.09.15 एवं 08.09.15 दोनों दिन पूछताछ करना बताते हैं। साक्षी सुरेन्द्र अ0सा0 6 जब्ती का अन्य साक्षी है जो मुख्य परीक्षण में अभियोजन के मामले का समर्थन करता है। साक्षी कण्डिका 7 में यह बताने में अस्मर्थ है कि किस अभियुक्त से किस स्थान पर संपत्ति जब्त हुई थी। साक्षी द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्तगण से पूछताछ में पता चले तथ्यों के आधार पर जब्ती के तथ्य को प्रमाणित किया है। उक्त साक्षीगण के कथनों के संबंध में अभियुक्तगण का यह तर्क है कि साक्षी किस अभियुक्त से कौनसा सामान जब्त हुआ उसका कथन करने में अस्मर्थ है। साथ ही अभियुक्तगण उस समय गिरफ्तार थे या नहीं, यह भी बताने में अस्मर्थ है, अतः साक्षीगण के कथन विश्वास योग्य न होने का तर्क प्रस्तुत किया है। यह तर्क ध्यान देने योग्य है कि साक्षीगण का कथन अभिकथित घटना से लगभग 7-8 माह पश्चात् लिया गया है। ऐसे में साक्षीगण के द्वारा ऐसा बताया जाना संभव होना अत्यंत असंभव है कि वे बता सकें कि कौनसी संपत्ति किस व्यक्ति से जब्त हुई। जहां तक अभियुक्तगण के अभिरक्षा में न होने के संबंध में तर्क प्रस्तुत किया है वहां ध्यान देने योग्य है कि दोनों साक्षीगण ने यह कथन किया है कि अभियुक्तगण थाने में थे जब पूछताछ हो रही थी। ऐसे में न्यायदृष्टांत उत्तर प्रदेश राज्य विरुद्ध देवमन उपाध्याय ए0आई0आर0 1960 सुप्रीमकोर्ट 1125 में मान0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कण्डिका 7 एवं 18 में स्पष्ट किया कि सूचना देते समय व्यक्ति के विरुद्ध कोई औपचारिक अभियोग हो, यह सूचना को प्रमाणित करने की कोई औपचारिक शर्त नहीं है। साथ ही कण्डिका 12 में यह भी प्रतिपादित किया कि कोई व्यक्ति जो अभिरक्षा में नहीं है और अनुसंधान अधिकारी के समक्ष जाता है तथा उसे सुसंगत तथ्यों का पता चल सके ऐसी सूचना देने का आग्रह करता है, ऐसे मामले में यह माना जावेगा कि वह व्यक्ति धारा 27 के क्रम में अभिरक्षा में है।

10. प्रकरण में साक्षी सुरेशदत्त अ0सा0 7 जो कि अनुसंधानकर्ता है, उसके द्वारा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 11 में स्वीकार किया है कि फरियादी एवं साक्षियों द्वारा उनके 161 दफ्तर के कथनों में किसी व्यक्ति के द्वारा चोरी कारित करने के संबंध में नाम नहीं बताया गया था और न ही किसी संदेही का चेहरा, कद आदि के संबंध में बताया था। साक्षी इसी कण्डिका में इंकार करता है कि उसने अभियुक्तगण को एक अन्य अपराध में बंद होने के बाद अज्ञात प्रकरणों में फार्मल गिरफ्तार किया है। अनुसंधानकर्ता के संबंध में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उसने हितबद्ध साक्षी को प्रकरण में जब्ती व गिरफ्तारी का साक्षी बनाया है। साक्षी चंदनसिंह अ0सा0 5 एवं सुरेन्द्र अ0सा0 6 फरियादी बलराम के रिश्तेदार हैं इस कारण से अभियुक्तगण के विरुद्ध कथन करते हैं। यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि चंदनसिंह अ0सा0 5 ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में यह स्पष्ट किया है कि बलराम उसका रिश्ते में कोई नहीं हैं। जहां तक सुरेन्द्र अ0सा0 6 का प्रश्न है तो वह स्वीकार करता है कि फरियादी बलराम उसके मौसा हैं, किन्तु अभिकथित तथ्य से अभियुक्तगण को असत्य लिप्त किए जाने का आधार उत्पन्न नहीं हो जाता है। प्रकरण में अनुसंधानकर्ता द्वारा अभियुक्तगण को संलिप्त किए जाने का कोई दुराशय भी अभिलेख पर नहीं है। ऐसे में उसके कथन पर अविश्वास का कोई युक्तियुक्त आधार नहीं है।

11. प्रकरण में दिनांक 07.09.15 को अभियुक्त महेन्द्र, गिराज तथा सुखराम से संपत्ति जब्ती पत्रक क्रमांक 16 लगायत 18 के रूप में जब्त होना दर्शाई गयी है जिसका समर्थन जब्ती साक्षी चंदनसिंह अ0सा0 5 व सुरेन्द्र अ0सा0 6 द्वारा किया गया है। दिनांक 08.09.15 को प्र0पी0 6 के अनुसार सर्वा हाईस्कूल के पीछे मकान की दीवाल के बगल से जमीन में उपरोक्त अभियुक्तगण की निशांदाही पर सम्पत्ति जब्त होने के संबंध में अनुसंधानकर्ता के कथनों का समर्थन चंदनसिंह अ0सा0 5 द्वारा किया गया है और बी से बी भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित किए हैं। अन्य साक्षी आरक्षक मूलचंद अ0सा0 3 हैं जो दिनांक 08.09.15 को अभियुक्तगण से मेमोरेण्डम धारा 27 प्र0पी0 3 लगायत 5 के आधार पर तथ्य के पता चलने और उसी दिनांक को अभियुक्तगण की निशांदाही पर संपत्ति की जब्ती सर्वा हाईस्कूल के पीछे मकान की दीवाल के बगल से होने का समर्थन किया है जिस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किए हैं। अभियुक्तगण की प्रकरण के अभिलेख के अनुसार दिनांक 07.09.15 को पुलिस रिमाण्ड स्वीकार की गयी थी और अभिरक्षा के दौरान प्र0पी0 6 के अनुसार जब्ती होने का तथ्य अभियुक्तगण के अपराध में संलिप्तता का समर्थन करता है। अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि एक ही अपराध में अभियुक्तगण से दो बार जब्ती संदिग्ध है। यहां तथ्य ध्यान देने योग्य है कि अनुसंधान में दिनांक 07.09.15 को जब्ती उपरांत अन्य शेष संपत्ति सोने की अंगूठी व एक जोड़ी चांदी की तोड़िया के संबंध में पुलिस अभिरक्षा में जब्ती की गयी है। ऐसा साक्ष्य का कोई नियम नहीं है कि किसी प्रकरण में केवल एक बार ही जब्ती की जा सकती है। अभिरक्षा में यदि सुसंगत तथ्य का पता चलता है तो उसके आधार पर तथ्य

की खोज किया जाना अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रमाणित किया जा सकता है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत रमेश विरुद्ध राजस्थान राज्य (2011) 3 एस0सी0सी0 685 में अभियुक्त से विभिन्न दिनांकों पर प्राप्त जानकारी के आधार पर जब्ती की कार्यवाही को दोषपूर्ण नहीं माना है। ऐसे में अभियुक्तगण महेन्द्र, गिर्राज व सुखराम के विरुद्ध अभिलेख पर समर्थनकारी पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है।

12. प्रकरण में फरियादी बलराम अ0सा0 1 द्वारा दिनांक 24.10.16 को अपने अभिसाक्ष्य में कथन किया है कि महर्षि कॉलेज में कनीपुरा के सरपंच रामेश्वर कुशवाह द्वारा सामान की शिनाख्त कराई थी जिसमें उसने एक जोड़ी झुमकी सोने की, एक जोड़ी बाला सोने के, एक जोड़ी पायजेब चांदी की, एक मर्दानी अंगूठी की पहचान की थी। शिनाख्त पंचनामा प्र0पी0 7 बताकर उस पर अपने बी से बी भागपर हस्ताक्षर प्रमाणित किए हैं। रामेश्वर अ0सा0 4 द्वारा मुख्य परीक्षण में यह अवश्य कथन किया है कि उनके समक्ष किसी वस्तु की शिनाख्त नहीं हुई, किन्तु प्र0पी0 7 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताते हैं। फरियादी बलराम अ0सा0 1 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 7 में यह स्पष्ट करता है कि उक्त सामान सरपंच लेकर आए थे और शिनाख्ती के समय फरियादी के सामान के अतिरिक्त अन्य सामान भी था। साक्षी यह भी बताता है कि शिनाख्त कार्यवाही के समय कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं था। ऐसे में प्र0पी0 4 पर जहां शिनाख्त कार्यवाही का निष्पादनकर्ता हस्ताक्षर ए से ए भाग पर स्वीकार करता है वहां फरियादी द्वारा शिनाख्त कार्यवाही का समर्थन किया जाना उक्त कार्यवाही को फरियादी के कथनों पर अविश्वास का कोई आधार न होने से समर्थन हेतु युक्तियुक्त रूप से प्रमाणित पाया जाता है।

13. अभियुक्त मुन्ना के संबंध में अनुसंधानकर्ता सुरेशदत्त अ0सा0 7 यह कथन करते हैं कि दिनांक 07.09.15 को उन्होंने अभियुक्त सुखराम से धारा 27 साक्ष्य विधान का ज्ञापन प्र0पी0 10 लिया जिसमें उसके द्वारा सोने की झुमकी मुन्ना खां निवासी माधौनगर मालनपुर को बेच देने का तथ्य बताया था तब उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही अभियुक्त मुन्ना खां का धारा 27 साक्ष्य विधान का ज्ञापन प्र0पी0 11 लिया था जिसमें अभियुक्त द्वारा अभियुक्त सुखराम से एक जोड़ी झुमकी सोने की आठ आना भर की पांच हजार रुपये में बेचने की स्वीकार कर अपने घर पर रखे होने का तथ्य बताया था। साक्षी यह कथन करता है कि अभियुक्त मुन्ना द्वारा अपने मकान के बक्से से निकालकर सोने की झुमकी जब्त कराई थी, जब्ती पंचनामा प्र0पी0 19 बनाए जाने का कथन कर उस पर अपने सी से सी भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। अभियुक्त मुन्ना की ओर से प्रतिपरीक्षण में विवेचक सुरेशदत्त अ0सा0 7 कण्डिका 8 में यह स्वीकार करते हैं कि प्र0पी0 10 के ज्ञापन में काटपीट कर "रखी है" शब्द के स्थान पर "बेच" शब्द उल्लेख किया है। यह साक्षी स्वीकार करता है कि जब कहीं किसी शब्द को काटते हैं तो उसके आगे सही शब्द लिखते हैं, यह स्वीकार करते हैं कि उन्होंने उक्त काटपीट के संबंध में साक्षी चंदनसिंह व सुरेन्द्रसिंह के कोई मजीद कथन अंकित नहीं किए।

साक्षी कण्डिका 10 में स्वीकार करता है कि उसने अभियुक्त मुन्ना के मेमोरेण्डम प्र0पी0 11 में ऐसा कोई तथ्य नहीं लिखा कि अभियुक्त ने चोरी का सामान जानते हुए एक जोड़ी झुमकी सोने की कय की थी। साक्षी यह स्वीकार करते हैं कि पुलिस वालों में से कोई भी अभियुक्त के घर के अंदर नहीं गया, बल्कि अभियुक्त ने बाहर निकलकर बक्से से निकालकर झुमकी दी थी।

14. सुरेन्द्र जाटव अ0सा0 6 जो कि अभियुक्त सुखराम एवं मुन्ना से पूछताछ कर ज्ञापन लिए जाने का साक्षी भी है, वह अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन करता है कि मुन्ने खां से अभियुक्तगण ने यह कहकर झुमकी "गिरवी" रखी गयी थी कि बाद में ले लेंगे। साक्षी यह कथन करता है कि दिनांक 08.09.15 को मुन्ने खां से उक्त झुमकी बरामद कर मेमोरेण्डम प्र0पी0 11 लिया था, जबकि प्रपी0 19 का जब्ती पत्रक के अनुसार अभिकथित झुमकी की जब्ती अभियुक्त मुन्ना से दि0 07.09.15 को दर्शित की गयी है। साक्षी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 6 में यह बताता है कि अभियुक्त मुन्ना खां को मालनपुर में उसकी दुकान हनुमान चौराहे के बगल में, जैन मंदिर के पास जो मीट मार्केट में स्थित है वहां से गिरफ्तार किया था। साक्षी यह भी बताता है कि मुन्ना खां के संबंध में दस्तावेज 8 तारीख को थाना गोहद चौराहे पर तैयार किए थे, जबकि अभियुक्त मुन्ना खां के संबंध में दस्तावेज प्र0पी0 11 मेमो, प्र0पी0 19 जब्ती पत्रक तथा प्रपी0 15 गिरफ्तारी पत्रक के दस्तावेज पर दिनांक 07.09.15 नियत है। साक्षी यह भी स्वीकार करता है कि मुन्ना खां के संबंध में कोई दस्तावेज मालनपुर में तैयार नहीं हुआ, जबकि उक्त दस्तावेजों पर मालनपुर स्थान लेख है। चंदनसिंह अ0सा0 5 भी मुन्ना खां के संबंध में साक्षी है। साक्षी कण्डिका 6 में इस तथ्य से इंकार करता है कि मुन्ना खां को मालनपुर के माधौनगर से गिरफ्तार किया था। साक्षी यह बताता है कि पहली बार दिनांक 07 को मुन्ना से पूछताछ हुई थी और दूसरी और तीसरी बार 8 तारीख को पूछताछ हुई थी। साक्षी प्रपी0 11 के ज्ञापन पर 8 तारीख को थाने में हस्ताक्षर करना बताता है जबकि प्रपी0 11 का दस्तावेज माधौ नगर कालोनी मालनपुर मुन्ना खां के मकान के दरवाजे पर दिनांक 07.09.15 को लेख किया जाना दर्शाया गया है। ऐसे में अभियुक्त मुन्ना खां के संबंध में सर्वप्रथम तो उससे अभिकथित कार्यवाही के संबंध में साक्षियों में विरोधाभास अभिलेख पर दर्शित हुआ है, दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अभियुक्त सुखराम के ज्ञापन प्र0पी0 10 में जो काटपीट की गयी है, उसके संबंध में अनुसंधानकर्ता का स्पष्टीकरण साक्षी सुरेन्द्र अ0सा0 6 के कथन द्वारा खण्डित हुआ है कि अभियुक्त मुन्ना खां को अभियुक्तगण ने झुमकी गिरवी रखकर बाद में ले लेने की बात कही थी।

15. संहिता की धारा 411 यह उपबंध करती है कि जो कोई चुराई गयी संपत्ति को, यह जानते हुए या विश्वास का कारण रखते हुए कि वह चुराई हुई संपत्ति है, बेईमानी से प्राप्त करेगा या रखेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, उसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डित किया जावेगा। इस प्रकार से इस आरोप को प्रमाणित किए जाने हेतु आवश्यक तत्व

चुराई गयी संपत्ति, उक्त व्यक्ति का बेईमानी से उसे प्राप्त करना, व्यक्ति द्वारा यह जानते हुए या विश्वास का कारण रखते हुए कि ऐसी संपत्ति चोरी की है, ऐसा करना अपराध है। मुन्ना खां के संबंध में सर्वप्रथम जब्ती साक्षी सुरेन्द्र अ0सा0 6 ने उक्त संपत्ति सोने की झुमकी गिरवी रखे जाने के संबंध में कथन किया है और दुबारा वापस लेने के संबंध में भी तथ्य अभियुक्त सुखराम द्वारा बताए जाने का कथन किया है। प्र0पी0 10 के ज्ञापन में भी जो काट छांट कर सुधार किया गया है वह संदेह उत्पन्न करता है। अभियुक्त के संबंध में कार्यवाही का जो स्थान माधौनगर मालनपुर बताया गया है उसके बारे में भी साक्षीगण ने दिनांक 08.09.15 को थाना गोहद चौराहा में कार्यवाही करना बताया है जो कि अभियुक्त मुन्ना खां के संबंध में अनुसंधान कार्यवाही को संदिग्ध बनाता है।

16. इस प्रकार से उपरोक्त विवेचन के आधार पर तथ्यों एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य की सुसंगत श्रृंखला के आधार पर यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित हो जाता है कि अभियुक्त महेन्द्र, गिराज एवं सुखराम के आधिपत्य से फरियादी बलराम जाटव के मानव निवास से चोरी हुई संपत्ति जब्त की गयी और जो संपत्ति अभियुक्त मुन्ना खां से भी जब्त की गयी वह भी अभियुक्तगण द्वारा उसे प्रदान की थी। अभियुक्तगण को इस संबंध में स्पष्टीकरण करना चाहिए था कि उनके पास उक्त चुराई हुई संपत्ति किस प्रकार से पहुंची। ऐसे स्पष्टीकरण के अभाव में यह तथ्य प्रमाणित हो जाता है कि अभियुक्त ने ही घटना दिनांक 23-24.08.15 की मध्य रात्रि मुंशीसिंह का पुरा फरियादी का घर पर सूर्यास्त के बाद व सूर्योदय के पूर्व अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए सावधानी पूर्वक फरियादी बलराम के घर में प्रवेश कर रात्रोप्रच्छन्न ग्रह अतिचार कारित किया तथा फरियादी के मकान के कमरे में रखे हुए सोनी चांदी के जेवरात, मोबाईल, व नगद सात हजार रुपये उसकी बिना सहमति के बेईमानीपूर्ण आशय रखते हुए चोरी की। अतः अभियुक्त **महेन्द्र, गिराज व सुखराम** को संहिता की धारा 380 एवं 457 के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त मुन्ना खां द्वारा फरियादी बलराम के स्वामित्व की सोने की झुमकी यह जानते हुए कि वह चोरी की संपत्ति है, बेईमानीपूर्ण आशय रखते हुए सुखराम चौहान से प्राप्त करने के संबंध में आरोप का प्रश्न है तो इस संबंध में अभियोजन की साक्ष्य में अभियुक्त मुन्ना खां का जानते हुए या विश्वास का कारण रखते हुए कि अभिकथित संपत्ति सोने की झुमकी चुराई गयी संपत्ति है, उन्हें प्राप्त करने के संबंध में साक्ष्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं हैं। अतः **अभियुक्त मुन्ना खां** को संहिता की धारा 411 के अधीन दोषमुक्त किया जाता है।

17. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं। अभियुक्त महेन्द्र, गिराज व सुखराम अभिरक्षा में लिया जाता है।

18. अभियुक्त महेन्द्र, गिराज व सुखराम को फरियादी के मकान में जो मानव निवास एवं संपत्ति की अभिरक्षा में प्रयोग होता है, में प्रवेशकर चोरी करने का दोषी पाया गया है। ऐसे में उन्हें परिवीक्षा

अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण व उनके विद्वान अभिभाषक को सुने जाने हेतु निर्णय लेखन कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

पुनश्च:

19. अभियुक्तगण एवं उसके विद्वान अभिभाषक को सुना गया। उन्होंने अभियुक्तगण के मजदूर एवं ग्रामीण होने के आधार पर उन्हें कम से कम दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया है। अभियोजन को भी सुना गया।

20. अभियुक्तगण की पूर्व समान अपराध के लिए दोषसिद्धि इसी न्यायालय से प्र०क०-842/15 निर्णय दिनांक 05.12.16 को किए जा चुके हैं। उनकी परिपक्व आयु को देखते हुए कम दण्ड से दण्डित किए जाने के अधिकारी नहीं हैं। अतः अभियुक्त **महेन्द्र, गिर्राज व सुखराम** को संहिता की धारा 380 एवं 457 के अधीन प्रत्येक धारा में **दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास व एक हजार-एक हजार रुपये के अर्थदण्ड** (प्रत्येक अभियुक्त को **दो हजार रुपये के अर्थदण्ड**) से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्तगण को 3-3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगताया जावे। अभियुक्तगण द्वारा निरोध में व्यतीत अवधि दी गयी सजा से मुजरा की जावे।

21. अभियुक्तगण को दी गयी दोनों सजाएं साथ-साथ भुगताई जावें।

22. प्रकरण मे जब्तशुदा संपत्ति पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधनमुक्त हो, अपील होने पर मान० अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

23. निर्णय की एक एक प्रति अविलंब अभियुक्तगण को प्रदान की जावे।

24. अभियुक्तगण की निरोधावधि के संबंध में यदि कोई हो तो धारा 428 दप्रस० का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही / -

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सही / -

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश